राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
20/198, कावेरी पथ, सेक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर

फोन नं.- 0141-2399335, 2399336 ई मेल- ccosjerajasthan@gmail.com

क्रमांकः एफ 20(9) (2)बा.अ.वि./कि न्या अ/किन्याबोर्ड./मनोनयन पार्ट-3/16/16516 जयपुर दिनांक 12/9/18

विज्ञप्ति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 के अन्तर्गत एवं आदर्श नियम, 2016 के अनुसार विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों की जॉच, सुनवाई एवं निपटान हेतु राज्य के **अजमेर, अलवर, बांसवाडा,भीलवाडा, बीकानेर, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ, जयपुर-प्रथम व द्वितीय , जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, पाली, राजसमंद, सीकर, उदयपुर, में (2-सदस्य, जिनमें से एक महिला आवश्यक), नागौर, सिरोही (1-सामान्य सदस्य रिक्त पद), व बाडमेर (1-महिला सदस्य रिक्त पद), जिलों में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यो** एवं धारा 27 के अर्न्तगत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों की जॉच एवं निपटान हेतु राज्य के **भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ,जैसलमेर, जोधपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, व उदयपुर जिलों में (1अध्यक्ष व 4 सदस्यों जिसमें से एक महिला आवश्यक) के रिक्त पदों हेतु, अजमेर जिले में (4 सदस्य रिक्त पद), धौलपुर जिले में (1 अध्यक्ष व 3 सदस्य रिक्त पदों), कोटा जिले में (1 अध्यक्ष व 2 रिक्त पद जिसमें से एक महिला आवश्यक) , और बाडमेर ,पाली, प्रतापगढ, जिले में (1 अध्यक्ष व 1 सदस्य) का चयन** राज्य स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

उक्त वर्णित पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं / योग्यताओं एवं सामान्य दिशा-निर्देशों की जानकारी एवं आवेदन पत्र विभागीय वेब साईट **www.sje.rajasthan.gov.in,** के **http://sje.rajasthan.gov.in/commissions/DCR/ लिंक** से प्राप्त किया जा सकता है । आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में भरकर दिनांक 12.10.18 तक संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालयों में जमा करवाया जा सकता है।

(कृष्ण कुणाल) 12/9

निदेशक एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय चयन समिति

क्रमांकः एफ 20(9) (2)बा.अ.वि./कि न्या अ/किन्याबोर्ड./मनोनयन पार्ट-3/16/ 16517-590 जयपुर दिनांक 12/9/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अतिशीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. माननीय अध्यक्ष, राज्य स्तरीय चयन समिति, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जयपुर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. सहायक निदेशक/प्रभारी, जिला बाल संरक्षण इकाई ....को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों के क्रम में योग्य आवेदकों के आवेदन विशेष वाहक द्वारा जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई, की अभिशंषा/अग्रेषण पत्र सहित दिनांक 26.10.18 तक विभाग को

Scanned by CamScanner

भिजवाने का श्रम करावें। यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक पद के लिये कम से कम तीन अभ्यर्थी हो ताकि चयन समिति के समक्ष योग्य व्यक्तियों के चयन हेतु विकल्प उपलबध रहे।

9. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ----------।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उक्त विज्ञप्ति विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक

Scanned by CamScanner

11.

किशोर न्याय बोर्ड के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं के मनोनयन हेतु

अपेक्षित अर्हताएं/योग्यता /सामान्य दिशा निर्देश

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 के अन्तर्गत एवं आदर्श नियम, 2016 के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों की जॉच, सुनवाई एवं निपटान हेतु एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो 1 महानगर मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट व 2 सदस्य (जिनमें से एक महिला होनी चाहिए) से मिलकर बनी एक न्यायपीठ होगी। प्रत्येक किशोर न्याय बोर्ड को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रदत्त महानगर मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होगी।

किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य पद पर मनोनयन हेतु अपेक्षित अर्हताएं निम्नानुसार है:–

1. किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त तभी किया जाएगा जव ऐसा व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक तात्पर्पित स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण संबंधी कियाकलापों में सकिय रूप से अर्न्तवलित हो या बालक मनोविज्ञान (Child Psychology),मनोरोग विज्ञान (Psychiatry), सामाजिक विज्ञान(Sociology) या विधि (Law) में डिग्री सहित व्यवसायरत व्यवसायी हो।

2 सामाजिक कार्यकर्ता अधिकतम दो कार्यकालों के लिए ही बोर्ड के सदस्य के लिए पात्र होंगे, जो कि लगातार नहीं होंगे।

3 कोई भी व्यक्ति बोर्ड का सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा , यदि –

   i. उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड है;

   ii. उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है।

   iii. उसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या निलंबित कर दिया गया है।

   iv. वह कभी बालक दुर्व्यापार या बाल श्रमिक के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के उल्लंघन या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है।

सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य पद पर मनोनयन हेतु अपेक्षित अन्य आवश्यक अर्हताएं निम्नानुसार है:–

i. सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य,या कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्यकरने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होगा या वे बाल मनोविज्ञान(Child Psychology) या मनश्चिकित्सा (Psychiatry) या समाज विज्ञान (Sociology) या विधि (Law) क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत कृतिक होने चाहिए।

ii. ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए, जो अधिनियम और इन नियमों के अनुसार बोर्ड के कार्य के लिए व्यक्ति का आवश्यक समय व ध्यान देने की अनुमति न देता हो।

Scanned by CamScanner

iii. बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुडा न हो।

iv. अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक पद का पदाधिकारी न हो।

v. दिवालिया न हो।

vi. बच्चों के के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत/अनुभव रखने वाले व्यक्ति के पास किसी क्षेत्र में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए।

इस क्रम में **राज्य के अजमेर, अलवर, बांसवाडा,भीलवाडा, बीकानेर, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ, जयपुर–प्रथम व द्वितीय , जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, पाली, राजसमंद, सीकर, उदयपुर, में (2–सदस्य, जिनमें से एक महिला आवश्यक), नागौर, सिरोही (1–सामान्य सदस्य रिक्त पद), व बाडमेर (1–महिला सदस्य रिक्त पद), जिलों में किशोर न्याय बोर्ड हेतु** सामाजिक कार्यकर्ता का चयन किया जाना है।

किशोर न्याय बोर्ड में सदस्यों का चयन 3 वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बैठकों में भाग लेने के पेटे मनोनीत सदस्यों को निर्धारित बैठक भत्ता दिया जाएगा।

अतः किशोर न्याय बोर्ड, सदस्य के पद के विरूद्व मनोनयन हेतु ऊपर वर्णित अर्हताएं रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से दिनांक 12.10.2018 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

आवेदन पत्र उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/जिला बाल संरक्षण इकाई के संबंधित जिला कार्यालय एवं विभागीय वेब साईट www.sje.rajasthan.gov.in, के http://sje.rajasthan.gov.in/commissions/DCR/ लिंक से प्राप्त किए जा सकते है एवं आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में भरकर निर्धारित दिनांक तक संबंधित जिला कार्यालयों में जमा करवाया जा सकता है।

नोटः–आवेदनकर्ता को पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(कृष्ण कुणाल)

निदेशक एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय चयन समिति

Scanned by CamScanner

बाल कल्याण समिति के लिए अध्यक्ष/सदस्यों के मनोनयन हेतु

अपेक्षित अर्हताएं/योग्यता/सामान्य दिशा निर्देश

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 व किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिलें में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों की जॉच एवं निपटान हेतु एक या अधिक बाल कल्याण समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य (जिनमें से एक महिला एवं 1 बच्चों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होना चाहिए) से मिलकर बनी एक न्यायपीठ होगी। प्रत्येक बाल कल्याण समिति को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रदत्त महानगर मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होगी।

बाल कल्याण समिति में किसी भी व्यक्ति के अध्यक्ष/सदस्य पद पर मनोनयन हेतु अपेक्षित अर्हताएं निम्नानुसार हैः–

1. किसी व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसा व्यक्ति, कम से कम सात वर्ष तक बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याणकारी संबंधी कार्यकलापों में सक्रिय रूप से अन्तर्वलित न हेा या बाल मनोविज्ञान (Child Psychology) या मनोविकृति–विज्ञान (Psychiatry) या विधि (Law) या सामाजिक कार्य (Social Work) या समाज विज्ञान (Sociology) अथवा मानव विकास (Human dovelopment) में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यवसायी न हो।
2. समिति का कोई भी सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नहीं होंगे।
3. राज्य सरकार द्वारा समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति ,जांच किए जाने के पश्चात समाप्त की जाएगी, यदिः–
   d) वह इस अधिनियम के अधीन निहित शक्ति के दुरूपयोग का दोषी पाया गया हो,
   e) वह किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध की बाबत उसे पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है,
   f) वह किसी विधिमान्य कारण के बिना लगातार तीन मास तक, समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित रहने में असफल रहता है या किसी वर्ष में कम से कम तीन–चौथाई बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है।

किसी व्यक्ति के अध्यक्ष/सदस्य पद पर मनोनयन हेतु अपेक्षित अन्य आवश्यक अर्हताएं निम्नानुसार हैः–

i. समिति के अध्यक्ष/सदस्यों की आयु 35 वर्ष से अधिक होगी और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों के क्षेत्र में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होगा या वे बाल मनोविज्ञान (Child Psycology) या मनश्चिकित्सा (Psychiatry) या सामाजिक कार्य (Social Work) या समाज विज्ञान (Sociology)या मानव विकास (Human dovelopment) या

Scanned by CamScanner

विधि (Law) क्षेत्र में, डिग्री के साथ व्यवसायरत कृतिक या सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी हो (Retired Judicial Officer)।

ii. ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए, जो अधिनियम और इन नियमों के अनुसार समिति के कार्य के लिए व्यक्ति का आवश्यक समय व ध्यान देने की अनुमति न देता हो।

iii. समिति के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुडा न हो।

iv. अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक पद का पदाधिकारी न हो।

v. दिवालिया न हो।

इस क्रम में राज्य के **भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ,जैसलमेर, जोधपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, व उदयपुर जिलों में (1अध्यक्ष व 4 सदस्यों जिसमें से एक महिला आवश्यक) के रिक्त पदों हेतु, अजमेर जिले में (4 सदस्य रिक्त पद), धौलपुर जिले में (1 अध्यक्ष व 3 सदस्य रिक्त पदों), कोटा जिले में (1 अध्यक्ष व 2 रिक्त पद जिसमें से एक महिला आवश्यक) , और बाडमेर ,पाली, प्रतापगढ, जिले में (1 अध्यक्ष व 1 सदस्य) का चयन** किया जाना है।

बाल कल्याण समिति में सदस्यों का चयन 3 वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बैठकों में भाग लेने के पेटे मनोनीत सदस्यों को निर्धारित बैठक भत्ता दिया जाएगा।

अतः बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद के विरूद्व मनोनयन हेतु ऊपर वर्णित अर्हताएं रखने वाले आवेदनकर्ता सम्बन्धित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से दिनांक 12.10.2018 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

आवेदन पत्र उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/जिला बाल संरक्षण इकाई के संबंधित जिला कार्यालय एवं विभागीय वेब साईट www.sje.rajasthan.gov.in, के http://sje.rajasthan.gov.in/commissions/DCR/ लिंक से प्राप्त किए जा सकते है एवं आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में भरकर निर्धारित दिनांक तक संबंधित जिला कार्यालयों में जमा करवाया जा सकता है।

नोटः—आवेदनकर्ता को पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(कृष्ण कुणाल)
निदेशक एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय चयन समिति

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20 / 198. कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर

Tel. 0141-2399335 Email: ccosjerajasthan@gmail.com

बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/ सदस्य के मनोनयन हेतु नवीन आवेदन प्रारूप

जिले का नाम .... ।

विज्ञप्ति क्रमांक .... ।

वर्ष .... ।

1.	आवेदक का नाम		**आवेदक की नवीन फोटो**
2.	पिता/पति का नाम		
3.	जन्म तिथि (आवेदन के समय आवेदक की आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए)		
4.	शैक्षणिक व अन्य योग्यता		
5.	वर्तमान व्यवसाय (आवेदक ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं हो, जो समिति के कार्य के लिए पूर्ण समय और ध्यान देने की अनुमति न देता हो)		
6.	निवास का पूर्ण पता		
7.	ई–मेल आई.डी. एवं मोबाईल. नम्बर		
8	दिशा–निर्देशों में अंकित अर्हताओं में कौन–सी अर्हता रखते है, का विवरण देवें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)		
9.	आवेदन तिथि को आवेदक द्वारा धारित अर्हता में अनुभव की अवधि देवें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)		
10.	आवेदक को उल्लेखनीय कार्य के लिए प्राप्त सम्मान पदक, प्रमाण पत्र आदि यदि कोई हो, का पूर्ण विवरण देवें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)		

Scanned by CamScanner

11.	क्या आवेदक को पूर्व में किसी ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है।	
12.	क्या आवेदक के विरूद्ध न्यायालय/थाने में प्रकरण दर्ज/लबिंत/निस्तारित हो चुका है/रहा है कि संबंध में पूर्ण विवरण देवे, निस्तारण होने पर क्या दोष सिद्व ठहराया गया है, तो इसका पूर्ण विवरण देवें। (पुलिस विभाग द्वारा जारी नवीनतम चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करें जो कि 6 माह से अधिक पुराना न हो)	
13.	क्या आवेदक वर्तमान मे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के तहत् संचालित विशेषज्ञ,दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी का संचालन कर रहे है, तो उल्लेख करें।	
14.	क्या आवेदक ऐसे पूर्ण कालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए, जो अधिनियम और इन नियमों के अनुसार बोर्ड या समिति के कार्य के लिए व्यक्ति को आवश्यक समय और घ्यान देने की अनुमति न देता हो, यदि हां तो विवरण देवें।	
15.	क्या आवेदक पूर्व में कभी किशोर न्याय बोर्ड/ बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष/सदस्य रहा/रही हैं, तो उक्त पद पर रहने की अवधि का उल्लेख करें।	
16.	क्या आवेदक किसी अनैतिक कार्य या बाल उत्पीडन के कार्य अथवा बाल श्रमिक के नियोजन में अंतर्वलित है/रहा है, यदि हॉ तो उल्लेखित करें।	
17.	क्या आवेदक दिवालिया है।	
18	अन्य (जो आवेदक उल्लेखित करना चाहता हैं)	

नोटः इस आवेदन पत्र प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी प्रारूप/पुराने प्रारूप में भेजे गये आवेदन पत्र अमान्य होगें। भरे हुए मूल आवेदन पत्र की दो फोटो प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें।

संलग्न .... **आवेदक के हस्ताक्षर**

Scanned by CamScanner